UPSD040351542023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर

Warrant or Summons Criminal Case/30969/2023

सुमित्रा– बनाम–नन्दनी आदि

धारा– 323, 354, 452 भा०दं०सं०

थाना–जोगिया उदयपुर, जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक 22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। अभियुक्तगण उपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० दिनांकित 15.09.2025 पर सुना।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण बिल्कुल बेकसूर व निर्दोष हैं। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो धारा–354, 452, 323, 504, 506 I.P.C. की परिधि मे आ रहा हो। परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये समस्त आरोप निराधार व कपोल कल्पित हैं। परिवाद मे वर्णित तथ्य तहरीरी रिपोर्ट व बयान अन्तर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी० व 202 सी०आर०पी०सी० आपस मे विरोधाभासी है। परिवादिनी के बयान में घटना का समय 9 बजे रात को होना उल्लेखित किया है और बयान अन्तर्गत धारा 200 में घटना का समय 10 बजे रात को होना बताया है। जबकि तहरीरी रिपोर्ट परिवाद प्रार्थना पत्र तथा गवाहों के बयान में कही भी 10 बजे की घटना का कोई उल्लेख नही है। बयान परिवादिनी और गवाह पी०डब्लू 01 गवाह पी०डब्लू 02 के अनुसार घटना 09 बजे रात का होना बताया जा रहा है। जबकि परिवादिनी ने अपने बयान 200 सी०आर०पी०सी० मे घटना 10 बजे रात को घटना घटित होना बताया है और उसी घटना को गवाहों द्वारा देखे जाने के बाद भी बताई गयी है। इस प्रकार यदि घटना 9 बजे रात को मान लिया जाये तो वह घटना किसी साक्षी द्वारा साबित नही है। और यदि घटना 10 बजे रात को मान लिया जाये तो उसके सम्बन्ध में परिवादिनी का कोई केस उसके परिवाद पत्र मे नही है। इसलिए परिवाद प्रार्थना पत्र संदेहास्पद है, निरस्त होने योग्य है। अभियुक्तगण आपस में पति पत्नी व पुत्री है परिवादिनी ने माता पिता एवं पुत्री के साथ मारपीट करना व लज्जा भंग करने का आरोप अभियुक्तगण पर लगाई है, जबकि कोई पिता अपने पत्नी व पुत्री के समक्ष किसी स्त्री के साथ अश्लील हरकत नही कर सकता और न ही उसके ब्लाउज फाड़ने जैसा कोई कृत्य ही कर सकता है। परिवादिनी ने बढ़ा चढ़ाकर झूठा एवं मनगढ़न्त कपोल कल्पित कहानी गढ़कर अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद दाखिल किया है, जो निरस्त होने योग्य है। परिवादिनी ने पुरानी रंजिश को लेकर आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध झूठी एवं कपोल कल्पित कहानी गढ़कर हम आपत्तिकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से दाखिल किया गया है। उपरोक्त आधरों पर परिवादिनी का परिवाद निरस्त कर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by DHAMMA KUMAR SIDHARTH
Date: 2026.07.22 09:58:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 15.02.2024 को अभियुक्ता नन्दनी को धारा–323,452 भा०दं०सं के अन्तर्गत एवं अभियुक्त श्यामबली को धारा–323,354,452 भा०दं०सं के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। अभियुक्तगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जमानतें करायी। तत्पश्चात् पत्रावली परिवादिनी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं० हेतु नियत हुई, परन्तु परिवादिनी द्वारा साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं० के तहत किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। परिवादिनी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है, किन्तु उसके बावजूद भी परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा–244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 04.07.2026 को परिवादिनी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त किया गया। आज भी परिवादिनी उपस्थित नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी अपने वाद पर बल नही देना चाहती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अभियुक्तगण नन्दनी एवं श्यामबली उन्मोचित किये जाने के योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण नन्दनी एवं श्यामबली को अन्तर्गत धारा–245(2) दं०प्र०सं० के तहत उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्गत समस्त अधिपत्र (यदि कोई हो) निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानत बन्धपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली विधि अनुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक 22.07.2026

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर
जे०ओ०कोड–यू०पी० 3504